तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 375/2021	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2022	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.11.2021 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के पत्र कमांक/आरटीआई/2021/1238 दिनांक 01.10.2021 की पालना में कार्यालय जिला पूल जोधपुर में गाड़ी नम्बर आरजे यूबी–6141 का वर्ष 2018–2019 का फिटनेस एवं प्रदुषण नियन्त्रण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर,प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1697 दिनांक 29.12.21 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, जिला पूल जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी श्री खेमसिंह जोधा को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1435 दिनांक 12.11.21 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना बाबत् वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	